

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)

क्रमांक / अकादमिक / अ०म० / 2021 / 1050

रीवा, दिनांक 5.8.21

अधिसूचना


आदेशानुसार, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत गृहविज्ञान संकाय अन्तर्गत गृहविज्ञान के अध्ययन मण्डल का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल की कार्यावधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से तीन वर्ष की होगी -

गृहविज्ञान अध्ययन मण्डल

अधिनियम	28(2) एक	1.	रिक्त
	28(2) दो	1.	डॉ० (श्रीमती) उर्मिला शर्मा, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, गृहविज्ञान, शास० कन्या महाविद्यालय, रीवा (म०प्र०)
		2.	रिक्त
	28(2) तीन	1.	रिक्त
	28(2) चार	1.	डॉ० सरिका गंगवाल, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, गृहविज्ञान, शास० विवेकानंद महाविद्यालय, मैहर, सतना (म०प्र०)
		2.	डॉ० साधना मंडलोई, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, गृहविज्ञान, शास० महाविद्यालय, अमरपाटन, सतना (म०प्र०)
	28(2) पाँच	1.	डॉ० (श्रीमती) शुचिता तिवारी, प्राध्यापक एवं संकायाध्यक्ष, गृहविज्ञान संकाय, शास० कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म०प्र०)
		2.	डॉ० (श्रीमती) अर्चना गुप्ता, प्राध्यापक, गृहविज्ञान, शास० कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म०प्र०)


अधिनियम 28(3) के अन्तर्गत डॉ० (श्रीमती) उर्मिला शर्मा को गृहविज्ञान अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।

डॉ० सरिका गंगवाल


कुलसचिव 5/8/21.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल (म०प्र०)
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म०प्र०)
3. अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यगण।
4. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
5. संकायाध्यक्ष, गृहविज्ञान संकाय।
6. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
7. निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, भोपाल (म०प्र०)
8. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक


सहायक कुलसचिव (अकादमिक)